-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 02.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना बदौसा पुलिस द्वारा भैंस/पड़वा चोरी करने वाले गिरोह के 04 सदस्यों को सूचना के 06 घंटे के भीतर अवैध तमंचा के साथ किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 81 पड़वा, 80 हजार रुपये नकद व परिवहन/घटना में प्रयुक्त 02 चारपहिया वाहन सहित अवैध तमंचा, कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बदौसा पुलिस द्वारा भैस/पड़वा चोरी करने वाले गिरोह के 04 सदस्यों को सूचना के 06 घण्टे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना बदौसा क्षेत्र के निजामी नगर अंश दुबरिया रहने वाले बोडाराम यादव पुत्र सुमेरा यादव ने दिनांक 02.07.2026 को थाना बदौसा पर सूचना दी थी कि उनके घर के बाहर बंधी 02 भैंस व 01 पड़वा चोरी हो गई है। जिसके सम्बन्ध में थाना बदौसा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर त्वरित रुप से कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर 06 घंटे के भीतर हड़हा माफी रोड पर भुसासी गाँव की ओर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ एवं तलाशी के दौरान अभियुक्त अफसर कुरैशी के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, घटना में प्रयुक्त एक अदद पिकअप वाहन संख्या एक अदद डीसीएम वाहन तथा 81 राशि पड़वा (मवेशी) बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे सभी गिरोह बनाकर जनपदों के विभिन्न स्थानों से पशु चोरी कर उन्हें अन्य जनपदों में ले जाकर बेचते। इस सम्बन्ध पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और किन-किन स्थानों से पशु चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है साथ ही इन सभी के आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 पिकअप वाहन संख्या UP90T6872
- 01 डीसीएम वाहन संख्या UP71AT4105
- 81 राशि पड़वा
- 80 हजार रुपए नकद (भैंस चोरी की बिक्री से प्राप्त)
- 02 मोबाइल फोन

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कुंदन उर्फ अवधेश पुत्र हीरालाल निवासी कच्ची गली कस्बा थाना बदौसा जनपद बांदा।
2. युसुफ खान पुत्र अजमत खान, निवासी निजामी नगर अंश दुबरिया थाना बदौसा जनपद बांदा।
3. शारीक पुत्र सद्दीक निवासी कोर्रही थाना बिसण्डा जनपद बांदा।
4. अफसर कुरैशी पुत्र आफाक कुरैशी निवासी कोर्रही थाना बिसण्डा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 123/2026 धारा 303(2)/317(2)/95 बीएनएस, 11(1)(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 3/25 आयुध अधिनियम थाना बदौसा जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 124/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बबेरु जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 51/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना चिल्ला जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 72/26 धारा 303(2)/352/351(3) बीएनएस थाना जसपुरा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री राधाकृष्ण तिवारी थानाध्यक्ष बदौसा
2. उ0नि0 श्री रामनारायण सरोज
3. उ0नि0 श्री लालाराम
4. उ0नि0 श्री आशीष पटेरिया
5. उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय
6. का0 आशुतोष यादव
7. का0 राहुल कुमार मौर्या